क्रम हुक्म व तारीख कार्यवाही	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	प्रहलाद सिंह vs गिर्राज सिंह व० वगैरा	
11/8/21	वकील वादीगण उप० । वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 18/8/21 को पेश हो।	
8/21	वकील वादीगण उप० । दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री बाद तामील तलबाना दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with DocScan

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
व इजलास– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

उनवान

01. प्रहलादसिह पुत्र शेरसिह जाति राजपूत आयु 85 साल निवारी फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। (मृतक)
1/1 सावित्री कंवर। पुत्रीयान प्रहलादसिह (हजफ)
1/2 सरदार कंवर। (हजफ)

02. गिर्राजसिह पुत्र प्रहलादसिह आयु 47 साल जाति राजपूत निवासी फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –वादीगण

बनाम

1. बाबूसिह पुत्र इन्दरसिह
2. माधोसिह पुत्र इन्दरसिह
3. मुस.निर्मला देवी बेवा इन्दरसिह (हजफ)
4. गिर्राजसिह।
5. नरेशसिह । पिसरान कानसिह पुत्र करणसिह
6. दिलीपसिह।
7. शंकरसिह ।
8. शिवदानसिह । पिसरान भैरूसिह पुत्र नारायणसिह
9. भगवानसिह ।
10. मदनमोहनसिह। पिसरान बाबूसिह पुत्र भैरूसिह पुत्र नारायणसिह
11. अवधेशसिह ।
12. मु.गोविन्द कंवर बेवा हुकमराज सिह फौत (हजफ)
13. ओमप्रकाशसिह पुत्र हुकमराजसिह।
14. लल्लूसिह पुत्र बृजगोपालसिह।
15. नरपतसिह। पिसरान नारायणसिह पुत्र बृजगोपालसिह
16. गणपतसिह।
17. मु.कैलाश कंवर बेवा नारायणसिह। सभी जातिगण राजपूत निवासीयान फतेहपुर
18. शिवनारायणसिह पुत्र राधा मदन सिह। तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
19. बलरामसिह पुत्र छोटूसिह।
20. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान। –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 08/10

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कआई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राजेन्द्र सोनी अभिभाषक वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू ......Nil...... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाता है तथा बंटवारा का अनुतोष खारिज किया जाता है। ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा मे वादीगण को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 व 2 को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 7 ता 9 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 10 ता 11 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 13 ता 14 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 18 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 19 को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज....Nil.... मुबलिग.....Nil..... बाबत.....Nil.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह .....Nil.....अदा करे। .....Nil.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का जारी की गई।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.08.2021 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

Scanned with DocScan

मुद्दई		मुद्दायलह	
	रूपया		
1. स्टाम्प अर्जी दावा		1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टॉम्प वकालतनामा		2. स्टॉम्प अर्जी	
3. स्टॉम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहान	
5. खर्चा गवाहान		5. फीस कमीश्नर	
6. फीस कमीश्नर		6. बबत् इजराय हुक्मनामा	
7. बबत् इजराय हुक्मनामा		7. मुतफर्रिक	
8. मुतफर्रिक			
मीजान		मीजान	
जोड़		जोड़	

Scanned with DocScan

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
08/10	दावा	10.03.10	18.08.2021

01. प्रहलादसिह पुत्र शेरसिह जाति राजपूत आयु 85 साल निवासी फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। (मृतक)
    1/1 सावित्री कंवर। पुत्रीयान प्रहलादसिह (हजफ)
    1/2 सरदार कंवर। (हजफ)
02. गिर्राजसिह पुत्र प्रहलादसिह आयु 47 साल जाति राजपूत निवासी फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. बाबूसिह पुत्र इन्दरसिह
2. माधोसिह पुत्र इन्दरसिह
3. मुस.निर्मला देवी बेवा इन्दरसिह (हजफ)
4. गिर्राजसिह।
5. नरेशसिह । पिसरान कानसिह पुत्र करणसिह
6. दिलीपसिह।
7. शंकरसिह ।
8. शिवदानसिह । पिसरान भैरूसिह पुत्र नारायणसिह
9. भगवानसिह ।
10. मदनमोहनसिह। पिसरान बाबूसिह पुत्र भैरूसिह पुत्र नारायणसिह
11. अवधेशसिह ।
12. मु.गोविन्द कंवर बेवा हुकमराज सिह फौत (हजफ)
13. ओमप्रकाशसिह पुत्र हुकमराजसिह।
14. लल्लूसिह पुत्र बृजगोपालसिह।
15. नरपतसिह। पिसरान नारायणसिह पुत्र बृजगोपालसिह
16. गणपतसिह।
17. मु.कैलाश कंवर बेवा नारायणसिह।
18. शिवनारायणसिह पुत्र राधा मदन सिह।
19. बलरामसिह पुत्र छोटूसिह। सभी जातिगण राजपूत निवासीयान फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
20. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:– श्री राजेन्द्र सोनी वकील वादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 19 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं0 357 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है। जिसमे वादी एवं वादी के भाई भौरूसिह व जालमसिह का 1/4 हिस्सा था। वादी के भाई भैरूसिह लगभग 20 साल पूर्व लाऔलाद फौत हो चुके है व जालमसिह 17 साल पूर्व लाऔलाद फौत हो चुके है। इस प्रकार वादी 1/4 हिस्से का उक्त आराजी मे हिस्सेदार है एवं इसी प्रकार प्रविवादी सं0 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा है व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ता 11 का है एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 12 ता 19 का है। प्रतिवादीगण चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी मे राजस्व कर्मियों से साज कर बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड मे वादी के हिस्से 1/4 के स्थान पर ... का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी के हिस्से 1/4 के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला-करौली

Scanned with DocScan

स्सा 1/8 गलत रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करा दिया है। इसी प्रकार सभी स्सेदारान के हिस्सों मे फेरबदल करा दिया है जबकि इस प्रकार की अनाधिकृत कार्यवाही का न्हे कोई अधिकार नहीं है। वादी राजस्व रिकार्ड मे अपने हिस्सों को दुरस्त कराने का धिकारी है व अपने 1/4 हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण पने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादी के हिस्से 1/4 में फसल सर सब्ज खड़ी हुई है। तिवादीगण एवं वादीगण के परिवार बढ गये है और शामिल मे काश्त करना संभव नही रह या है। आये दिन आपस मे झगड़ें होते रहते है जिससे विवादित भूमि से मिलने वाली मुफात फरीकेन पूर्ण रूप से फायदा उठा नही पा रहे है। इसी उद्देश्य से वादीगण ने प्रतिवादीगण दिनांक 16.11.09 को तहसील मे चलकर अपने अपने हिस्से का बंटवारा कराकर खाता व गान अलग अलग कायम कराने को प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने को कार हो गये। इसलिए वादीगण ने वादी सं0 1 को विवादित आराजी के हिस्से 1/4 के ातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इसी अनुसार इन्द्राज दुरस्त किये जाने एवं अपने अपने हेस्से का बंटवारा किया जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किये जाने का निवेदन केया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 13 जरिये वकील उपस्थित आये तथा अन्य प्रवितादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रवितादी सं0 13 एवं प्रविवादी सं0 20 को कई अवसर अंतिम मौके के साथ दिये गये किन्तु कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया इसलिए इनके जवाबदावा बंद किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नही करने के कारण कोई तनकीयात कायम नही की गई।

वकील वादीगण ने साक्ष्य मे वादी प्रहलाद, गिर्राजसिह पीडब्ल्यू 1 एवं गवाह गोपालसिह पीडब्ल्यू 2 के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये। दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम फतेहपुर सम्बत् 2015–34 (सैटिलमेंट) प्रदर्श 1, जमाबंदी नकल संबत् 2073–76 प्रदर्श 2, जमाबंदी नकल संबत् 2063 प्रदर्श 3, जमाबंदी नकल सम्बत् 2032/35 प्रदर्श 4, संबत् 2036–39 प्रदर्श 5, सम्बत् 2041–44 प्रदर्श 6, संबत् 2045–48 प्रदर्श 7, संबत् 2049–52 प्रदर्श 8, संबत् 2053–56 प्रदर्श 9, संबत् 2057–60 प्रदर्श 10 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई जवाब दावा पेश किया है और नही कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये है। दौराने बहस जानकारी में आया कि वादी सं0 1 प्रहलादसिंह फौत हो चुका है उसके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये जो वादी सं0 2 गिर्राजसिह पूर्व से ही पक्षकार संयोजित है तथा प्रहलादसिह के दो पुत्रियां सावित्री कंवर व सरदार कंवर पुत्रीयान प्रहलादसिह है जिनको पक्षकार मुकदमा बनाये जाकर वाद पत्र मे वादी सं0 1/1 व 1/2 संयोजित कर उनका नाम वाद पत्र से विवादित आराजीयात में हक त्याग वादी सं0 2 उनके भाई गिर्राजसिह के पक्ष में कर दिये जाने से हजफ किये जाने के आदेश दिये गये।

विद्वान अभिभाषक वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र मे उपलब्ध भू प्रबन्ध (सैटलमेंट) विभाग की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) ग्राम फतेहपुर सम्बत् 2015–34 प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता इन्दरसिह का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 4 ता 6 के पिता कानसिंह पुत्र कर्णसिह तथा प्रतिवादी सं0 7 ता 9 भैरूसिह पुत्र नारायणसिह एवं प्रतिवादी सं0 10 ता 11 के पिता बाबूसिह पुत्र भैरूसिह (घासीसिह) का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 12 लगायत 19 जो कि बृजगोपालसिह, राधामदनमोहन सिह, छोटूसिह पि0 सम्पतसिह के वारिशान है, का हिस्सा 1/4, भैरूसिह, जालमसिह व प्रहलादसिह पि0 शेरसिह का हिस्सा 1/4 जो कि वादीगण है, दर्ज है। भैरूसिह, जालमसिह पि0 शेरसिह लाऔलाद फौत हो चुके है, शेरसिह के वारिशान मे केवल प्रहलादसिह रहे है। प्रहलाद सिह भी दौराने दावा फौत हो चुके है उनके एक मात्र वारिश गिर्राजसिह वादी सं0 2 है। जमाबंदी ग्राम फतेहपुर सम्बत् 2065–68 प्रदर्श 2 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 ता 3 हिस्सा 1/4 दर्ज है जो सही है, प्रतिवादी सं0 3 निर्मला देवी बेवा इन्दरसिह फौत हो चुकी जिसका नाम वाद पत्र से हजफ हो चुका है। प्रतिवादी सं0 4 ता 6, प्रतिवादी सं0 7 ता 9 एवं प्रतिवादी सं0 10 ता 11 को हिस्सा 1/4 के स्थान पर गलत दर्ज हो रहे है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 12 लगायत 19 जो कि बृजगोपालसिह, राधामदनमोहन सिंह, छोटूसिह पि0 सम्पतसिह के वारिशान है, के हिस्सा 1/4 के स्थान पर गलत दर्ज हो रहे हैं, भैरूसिह, जालमसिह व प्रहलादसिह पि0 शेरसिह का हिस्सा 1/4 है जो कि वादीगण है का भी हिस्सा 1/8 दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे बिना

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला-करौली

Scanned with DocScan

सी अधिकार एवं आदेशों के गलत हिस्से दर्ज कर दिये है जो विधि सम्मत नही है। इसलिए
दीगण अपने हिस्से 1/4 को राजस्व रिकार्ड मे दुरस्त कराने के अधिकारी है। वादी सं0 1
लादसिह फौत हो चुके है जिनके वारिशान वादी सं0 2 गिर्राजसिह व दो पुत्रियां सावित्री
वर, सरदार कंवर पुत्रीयान प्रहलादसिह है जिनके द्वारा विवादित आराजीयात मे अपना सम्पूर्ण
स्सा प्रहलादसिह के पुत्र एवं इनके भाई गिर्राजसिह के हक में हक त्याग कर दिया है,
सलिए प्रहलादसिह की सम्पूर्ण आराजी के एक मात्र गिर्राजसिह ही हकदार है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा बंटवारा का अनुतोष खारिज किया
जाता है। ग्राम फतेहपुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा
। वादीगण को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 व 2 को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 4 ता 6 को
हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 7 ता 9 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 10 ता 11 को हिस्सा
/12, प्रतिवादी सं0 13 ता 14 को हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 18 को हिस्सा 1/12,
प्रतिवादी सं0 19 को हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड
मे दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज
दिनांक 18.08.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाय गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with DocScan